

## न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

मैनुअल नं. 4/रेगूलर/2025  
( GCMS No. 2025 / 24 )

तारीख दायरा

10.02.2025

तारीख निर्णय

21.04.2025

सरकार जर्गे प्रवर्तन अधिकारी,  
जिला रसद कार्यालय, बून्दी

– प्रार्थी

बनाम

श्री सवाई सिंह राजपूत पुत्र स्वरूप सिंह,  
मैसर्स ओम जोधपुर मिष्ठान भंडार, देवपुरा,  
कोटा रोड, बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार (रसद विभाग)।  
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।



निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6-“ए” आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 4/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/24 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी वास्ते सुनवाई जर्गे नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील प्राप्त हो चुका है किन्तु नियत पेशी दिनांक 03.03.2025 को अप्रार्थी या उसकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बून्दी

परोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 30.01.2025 को ओम मिष्ठान भण्डार, देवपुरा, कोटा रोड, बून्दी के आकास्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त रेस्टोरेन्ट पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। मौके पर उपस्थित सवाई सिंह राजपूत से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग के विषय में जानकारी चाहे जाने पर उनके द्वारा इस विषय में कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। वक्त जाँच सवाई सिंह के पास घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करने का कोई वैध लाइसेन्स होना नहीं मिला तथा उक्त एलपीजी सिलेण्डर को कब्जे में रखे जाने के कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला, इससे अप्रार्थी की अनियमितता बखूबी साबित होती है। अतः घरेलू सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण भारत गैस के उक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 25.00 कि.ग्रा. को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी अरुण गैस एजेंसी के प्रतिनिधि रोहित महावर की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के राजसात किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अपने रेस्टोरेन्ट में व्यावसायिक उपयोग किया गया है इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जाँच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना नियम विरुद्ध है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा गैस सिलेण्डर एसआर नं. 5545 BPCL गैस सहित शुद्ध वजन 25.00 कि.ग्रा. के राजसात किये जाने के आदेश दिया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के नियमानुसार वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसेले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 21.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )

जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

